आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :बारा
वाद संख्या :-01722/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902030701722
कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी द्वारा विवेक शुक्ल बनाम ग्राम पंचायत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेण्ट एजूकेशनल सोसायटी के डायरेक्टर/सचिव श्री विवेक शुक्ल पुत्र देवेन्द्रनाथ शुक्ल नि0 म0नं0 209/15 राधाकृष्ण भवन रसूलाबाद प्रयागराज ने ग्राम पंचायत को प्रतिवादी बनाते हुये नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र 25 पर इस कथन के साथ योजित किया है कि वे मौजा इरादतगंज परगना अरैल तहसील बारा जिला प्रयागराज की वर्तमान खतौनी वर्ष 1423-1428फ0 की खाता सं0 8 की गाटा संख्या 643 रकबा 0.6450है0 में रकबा 0.250है0 व खाता संख्या 124 की गाटा संख्या 637 रकबा 0.1660है0 कुल 2 गाटा रकबा 0.4160है0 का संक्रमणीय भूमिधर के रूप में काबिज, दखील काश्तकार है, और उक्त भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न, शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रयोग की जा रही हैं। अन्त मे याचना किया है कि उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार बारा की जाँच आख्या मगाई गयी। तहसीलदार बारा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.4.2019 में उल्लिखित किया गया है कि आराजी उपरोक्त में नवनिर्मित कालेज व टीनशेड बना है। 1359फ0 में काश्तकार के नाम अंकित है, तथा आराजी उपरोक्त को गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस निर्गत किया गया जो बाद तामीला शामिल पत्रावली है। आज दिनांक तक कोई आपत्ति नही आयी। वादी द्वारा चालान संख्या 10 दिनांक 24-7-2019 को मु0 16640/-रू0 व उद्घोषणा शुल्क जमा किया गया है तथा मु0 16640/-रू0 का न्यायिक स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना और पत्रावली का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि संख्या सं0 8 की संख्या 643 रकबा 0.6450है0 में रकबा 0.250है0 व खाता संख्या 124 की गाटा संख्या 637 रकबा 0.1660है0 कुल 2 गाटा रकबा 0.4160है0 का प्रयोग वादी द्वारा शैक्षणिक व व्यावसायिक रूप में की जा रही है। इस प्रकार भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जा रही है, जो0च0 आकार पत्र 41 व 45 तथा 1359फ0 खसरा में भूमि काश्तकार के नाम अंकित है। तहसीलदार बारा की आख्यानुसार उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम इरादतगंज परगना अरैल तहसील बारा जिला प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1423-1428फ0 के खाता सं0 8 की गाटा संख्या 643 रकबा 0.6450है0 में रकबा 0.250है0 व खाता संख्या 124 की गाटा संख्या 637 रकबा 0.1660है0 कुल 2 गाटा रकबा 0.4160है0 का अकृषिक प्रयोग के कारण कृषि से भिन्न शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त घोषित कर प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार बारा की आख्या दिनांक 22.4.2019 आदेश का अंग होगी। आदेश की सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार निबन्धन हेतु उपनिबन्धक बारा को भेजी जाए। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पृष्ठ संख्या :

दिनांक 13-8-2019

सत्य प्रतिलिपि

(इन्द्रभान तिवारी)
उप जिलाधिकारी बारा

न्यायालय उपजिलाधिकारी बारा इलाहाबाद
नं० मु० 11 वर्ष 2011 धारा 143 ज०वि०अधि०
मौजा इरादतगंज परगना अरैल तहसील बारा जिला इलाहाबाद
कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड मानेजमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी
जरिए डायरेक्टर/ सचिव श्री विवेक शुक्ला बनाम ग्राम पंचायत

निर्णय

प्रस्तुत वाद कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड मनेजमेन्ट एजूकेश सोसाइटी जरिए डायरेक्टर/ सचिव श्री विवेक शुक्ल पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ शुक्ल निवासी मकान नं० 209/15 राधा कृष्ण भवन रसूलाबाद सदर शहर इलाहा बाद ने ग्राम पंचायत इरादतगंज परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आ० नं० 643 मि० रकबा 0.068 है० व 644 मि० रकबा 1.301 है० की संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील काश्तकार है उक्त भूमि में खेती नही की जाती है वादी उक्त भूमि को कृषि उपयोग से परिवर्तित करके उक्त भूमि का उपयोग इन्जीनियरिंग कालेज/ शैक्षणिक संस्थान एवं कार्यालय तथा छात्रावास पठन पाठन व खेल के मैदान के लिए करना चाहता है तथा वाद के अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त कराया जाय। तहसीलदार बारा से जाच आख्या प्राप्त की गयी दि० 02-05-2012 को राजस्व निरीक्षक की आख्या जिसे तहसीलदार बारा ने दिनांक 11-05-2012 को अपनी संस्तुति दी है तदुपरान्त वाद दर्ज रजिस्टर हुआ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया और यह पाया कि उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नही होता है अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा इरादतगंज परगना अरैल तहसील बारा जिला इलाहाबाद की खाता सं० 8 की आराजी नं० 643 मि० रकबा 0.068 है० व खाता सं० 188 की आराजी नं० 644 मि० रकबा 1.301 है० को कृष्णार्पित इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड मनेजमेन्ट एजूकेशनल सोसाइटी जरिए डायरेक्टर/ सचिव विवेक शुक्ल पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ शुक्ल निवासी मकान नं० 209/15 राधा कृष्ण भवन रसूलाबाद सदर शहर इलाहाबाद के नाम अकृषिक घोषित की जाती है एवं लगान से मुक्त किया जाता है परवाना अमलदरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा० द० हो।

21-05-12

§ अवधेश सिंह §

उपजिलाधिकारी, बारा
इलाहाबाद

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि
27-12-12
प्रतिलिपिकार / रीडर
प्रतिलिपिकार